संख्या-138/2017/2333/26-3-2016-4(97)/93

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 4 सितम्बर, 2017

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-94/2017/1248/26-3-2017-4(97)/93, दिनांक-09.06.2017 के क्रम में निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1167-68/स0क0/ विकास/आवंटन/03/2017-18 दिनांक 18-08-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-4620.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-3465.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11014/15/2017-पी.सी.आर.(डेस्क), दिनांक-29.06.2017 द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु धनराशि **रू0-2694.555 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ चैरान्वे लाख पचपन हजार पांच सौ मात्र)** का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017, में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु आय व्ययक प्राविधान **रू0-4620.00 लाख (रूपये छियालिस करोड़ बीस लाख मात्र)** के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार **रू0-3465.00 लाख (रूपये चैतीस करोड़ पैसठ लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	**आय-व्ययक प्राविधान 2016-17**	**पूर्व स्वीकृत धनराशि 2016-17**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि 2016-17**
अनुदान संख्या-83-आयोजनागत-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना)			
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	25	75
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	4500	1125	3375
42-अन्य व्यय	20	5	15
योग-	**4620**	**1155**	**3465**

(रूपये चैतीस करोड़ पैसठ लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/ उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(2) धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/ स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/ हो रहा है तथा योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाआंे पर ही किया जाय और किसी भी दशा मंे इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित परिव्यय की सीमा में ही जनपदवार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपलब्धतता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगें किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें। राज्य योजना आयोग(नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/ 35-आ0-2/91-92, दिनांक 16-8-1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2017-18 में शासन से अनुमोदित धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित हो। पूर्व में निर्गत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त योजना 50 प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित है। अतः उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को उपलब्ध/प्राप्त केन्द्रांश रू0-2694.555 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ चैरान्वे लाख पचपन हजार पांच सौ मात्र) के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

(7) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.रा.)-19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2018/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-138/2017/2333(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

5- कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

8- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।

10-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11-राज्य योजना आयोग-1/2/निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

12-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।